न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः– 08/अ–59/2017–18/ 11661 बैतूल दिनांक 30/10/2017

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत चॉंदबेहड़ा तहसील बैतूल द्वारा तहसीलदार बैतूल के समक्ष पत्र क्रमांकः– ग्रा. पं./ग्रा.सं./क्यू/2017 दिनांक 27–2–2017 प्रस्तुत करके, ग्राम चॉंदबेहड़ा एवं सेन्दुरजना में आवासहीनो को आवासीय पट्टा प्रदान करने के लिए उक्त ग्रामो की पहाड़ चट्टान मद की भूमि को आबादी घोषित करने का अनुरोध किया गया है। ग्राम चॉंदबेहड़ा एवं सेन्दूरजना (रा. नि. वृत्त खेड़ीसॉवलीगढ़)

2– ग्राम चॉंदबेहड़ा एवं सेन्दूरजना (रा. नि. वृत्त खेड़ीसॉवलीगढ़) नायब तहसीलदार बैतूल के कार्यक्षेत्र मे होने के कारण नायब तहसीलदार बैतूल द्वारा विषयांकित के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः–

(1)– मौजा चॉंदबेहड़ा तहसीन बैतूल स्थित खसरा नंबर 137/1 रकबा 0.202 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान की नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)– दिनांक 23–2–2017 को आयोजित ग्राम सभा में, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाकर मौजा चॉंदबेहड़ा स्थित खसरा नंबर 137/1 रकबा 0.202 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

(3)– वर्तमान राजस्व अभिलेख खसरा के अनुसार मौजा चॉंदबेहड़ा तहसील बैतूल 137/2 रकबा 0.202 हेक्टेयर भूमि पहाड़ चट्टान मद में दर्ज है।

(4)– वनमण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमण्डल बैतूल के पत्र क्रमांकः– मा0चि0/2017/6776 दिनांक 18–9–2017 द्वारा सूचित किया गया है कि, ग्राम चॉंदबेहड़ा स्थित खसरा नंबर 137/2 रकबा 0.202 हेक्टेयर भूमि वनखण्डो में शामिल नहीं है।

(5)– नायब तहसीलदार बैतूल/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल द्वारा मौजा चॉंदबेहड़ा स्थित खसरा नंबर 137/2 रकबा 0.202 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–237 (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए पृथक रख सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक– कमांक 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8–11–2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः– 2489 दिनांक 25–2–2017 द्वारा

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4– अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं नायब तहसीलदार बैतूल/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा चॉदबेहड़ा तहसील बैतूल स्थित पहाड़ चट्टान मद की भूमि खसरा नंबर 137/2 रकबा 0.202 हेक्टेयर भूमि को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास स्वीकृत किया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.

पृ0क0:– 08/अ–59/2017–18/ 11661 बैतूल दिनांक 30/10/2017

प्रतिलिपि:–

1– अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल ।

2– नायब तहसीलदार बैतूल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

3– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

4– जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

5– सचिव ग्राम पंचायत चॉदबेहड़ा जनपद पंचायत बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.

31/10/2017